बिहार सरकार

लघु जल संसाधन विभाग

मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना

स्वीकृति पत्र

कार्यालय का नाम- दिनांक-

पत्रांक संख्या-.. आवेदन संख्या-……………………..किसान का नाम-...

पिता/ पति का नाम-…………………………………ग्राम-..................................पंचायत-.................................... प्रखण्ड-……………………..

जिला-…………………..मोबाईल नम्बर-……………………..

आपके द्वारा समर्पित नलकूप अधिष्ठापन सम्बन्धी आवेदन पत्र जाँचोपरान्त सही पाया गया है एवं अनुदान पर बोरिंग करने एवं पम्पसेट खरीदने की स्वीकृति दी जाती है, जिसके लिए निम्न शर्तें हैं-

1. अनुदान की राशि बोरिंग हेतु सामान्य वर्ग के लिए रु0 600.00 प्रति मीटर, पिछड़ा/अति पिछड़ा वर्ग के लिए रु0 840.00 प्रति मीटर एवं अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के लिए रु0 960.00 प्रति मीटर अधिकतम 70 मीटर गहराई तक के लिए ही होगी।
2. अनुदान की राशि 2HP, 3HP, एवं 5HP मोटर पम्प हेतु क्रमशः अधिकतम रु0 20000, रु0 25000 एवं रु0 30000 की दर से लागत पर सामान्य वर्ग, पिछड़ा/अति पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग को क्रमशः 50 प्रतिशत, 70 प्रतिशत एवं 80 प्रतिशत की गणना से देय होगी।
3. किसी भी परिस्थिति में 15 मीटर से कम गहराई पर किये गये बोरिंग के लिए अनुदान देय नही होगा ।
4. बोरिंग का व्यास 4 इंच (100 मी0मी0) से 6 इंच (150 मी0मी0) होना अनिवार्य है ।
5. स्वीकृति पत्र प्राप्त होने के 60 दिनों के अन्दर नलकूप अधिष्ठापन के उपरांत लाभुक किसान पाईप एवं मोटर का प्रमाणक जिसमें जी0एस0टी0 संख्या एवं आई0एस0आई0 मार्का का उल्लेख हो उसके साथ अनुदान का दावा विहित प्रपत्र में पोर्टल पर अपलोड करेंगे। लाभुक कृषक बोरिंग एवं मोटर पम्प का दावा अपनी सुविधानुसार निर्धारित अवधि में अलग-अलग तिथि को या एक ही तिथि को कर सकेंगे।
6. बोरिंग गाड़ने के पूर्व, गाड़ने के दौरान एवं गाड़ने के बाद जलश्राव होते हुए कृषक स्थल का फोटोग्राफ लेंगे जिसे दावा समर्पण के समय वेबपोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। इसी प्रकार मोटर पम्प अधिष्ठापन करते हुए एवं पम्प अधिष्ठापन के उपरांत जलश्राव होते हुए का फोटो भी अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। विभाग के प्रतिनिधियों के साथ भौतिक सत्यापन व गहराई मापने के पश्चात् ही कृषक द्वारा मोटर अधिष्ठापन का कार्य कराया जायेगा व फोटो पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।
7. निर्धारित अवधि के अन्दर बोरिंग नही गाड़ने पर आवेदक को पोर्टल पर स्पष्ट कारण अंकित करते हुए इसकी सूचना देनी होगी, अन्यथा आवेदन/दावा स्वतः रदद् माना जायेगा।
8. नलकूप में प्रयुक्त होने वाली सभी सामग्रियों का देश में निर्मित होना व इनकी गुणवत्ता भारतीय मानकों के अनुरूप पी0वी0सी0 केसिंग पाईप-(आई0एस0-12818/1992) पी0वी0सी0 स्क्रीन पाईप-(आई0एस0-12818/1992) सेन्ट्रीफ्यगू ल मोटर पम्प-(आई0एस0-6595 (पार्ट-I)/2018, आई0एस0-9079/2018) एवं सबमर्सिबल मोटर पम्पसेट-(आई0एस0-8034/2018) होनी चाहिए।
9. नलकूप हेतु अनुदान दावे का भुगतान स्थल सत्यापन के बाद किया जायेगा, इस कार्य हेतु किसान लघु जल संसाधन विभाग के पदाधिकारियों/कर्मचारियों को सहयोग करेंगे।
10. नलकूप हेतु अनुदान दावे की राशि का भुगतान दो किश्तों में किया जायेगा। प्रथम किश्त बोरिंग गाड़ने के बाद तथा दूसरी किश्त मोटर पम्प लगाने के बाद दी जायेगी।
11. भुगतान की कार्रवाई विभाग द्वारा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानि DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से सीधे लाभुक के आधार युक्त खाते में की जायेगी। अतः भुगतान आधार आधारित होगा।

कार्यपालक अभियन्ता

लघु सिंचाई प्रमंडल....................... ।